निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2026 को अपराह्न 01:00 बजे निजी विद्यालयों के संघ/संगठन के प्रतिनिधि/नोडल पदाधिकारी के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति –

1. उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।
2. उप निदेशक, दिव्यांगजन, सशक्तिकरण, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
3. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय के संघ/संगठन के प्रतिनिधि/नोडल पदाधिकारी।

1. शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत बच्चों का प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु अगले चरण की समय सारणी प्रचारित है। शेष सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय दिनांक 13.04.2026 तक Intake Capacity को अचूक रूप से भरना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उक्त नामांकन संबंधी कार्य को ससमय पूर्ण कराया जा सके। निर्धारित समय तक Intake Capacity को न भरने वाले विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालनार्थः–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार एवं प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के निदेशक)

2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का दिनांक 14.01.2026 से दिनांक 08.04.2026 के बीच कुल 1949 विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी गई है। शेष 90 दिन से अधिक दिनों से लंबित बचे 417 विद्यालयों की प्रस्वीकृति का आवेदन माह अप्रैल तक एवं शेष आवेदित आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया जाता है।

निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा बताया कि ई–संबंधन पोर्टल पर विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु आवेदन को प्रखंड एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से विद्यालय के प्रस्वीकृति हेतु मानक का अनुपालन किए बिना अस्वीकार कर दिया जा रहा है। उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदित निजी विद्यालय का अपलोड अभिलेख मानक के अनुसार होने की स्थिति में जाँच हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अग्रसारित करें। प्रखंड शिक्षा पदधिकारी अपलोड अभिलेख का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति अंकित कर अनुशंसा के साथ प्रस्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को अग्रसारित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी की समिति प्रस्वीकृति हेतु मानकों के आलोक में ही मामले को निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनार्थ :–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० एवं समग्र शिक्षा अभियान) बिहार)

3. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का रेंडमाईजेशन के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया गया। अभी तक 56573 बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा किया जा चुका है। शेष 8186 बच्चों का नामांकन संबंधित निजी विद्यालय के स्तर पर लंबित है। इस संदर्भ में निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित विद्यालय उक्त सभी बच्चों का नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे।

निजी विद्यालय के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि अन्यान्य कारणों से कुछेक बच्चों द्वारा नामांकन नहीं लिया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि विद्यालय अपने स्तर से दूरी के आधार पर या अन्यान्य कारणों से बच्चों का नामांकन रिजेक्ट न करें, बशर्ते की अभिलेखीय साक्ष्य में कोई विसंगति हो या फिर अभिभावक नामांकन नहीं लेने के संबंध में आवेदन दें।

(अनुपालनार्थः–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार एवं प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के निदेशक)

4. RTE 12(1)(c) के तहत नामांकित बच्चों के एवज में संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। अभी तक जिला स्तर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध राशि के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से 2023–24 तक के लिए संबंधित निजी विद्यालयों के खाते में DBT के माध्यम से कुल 200.71 करोड़ की राशि का अंतरण किया जा चुका है। शेष विद्यालयों की जाँच प्रक्रिया को पूर्ण कराने हुए साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। अरवल, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, सरहसा एवं शेखपुरा जिला को शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राशि DBT के माध्यम से संबंधित निजी विद्यालयों को उनके खाते में अंतरित की जा चुकी है। नालंदा, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, गोपालगंज एवं पटना जिला को शेष विद्यालयों के जाँच प्रतिवेदन की कार्यवाही प्राप्ति हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को पत्र देने का निदेश दिया जाता है।

(अनुपालनार्थ :–उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार)

5. निजी विद्यालय के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि निजी विद्यालयों के संघों से अधिकतम एक प्रतिनिधि नामित किए जाने के संबंध में आम सूचना दिया जाय।

(अनुपालनार्थ :–उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा)

6. निजी विद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बहुत से विद्यालयों द्वारा भौतिक रूप से आवंटित बच्चों का नामांकन लिया जा चुका है, लेकिन उन्हें तकनीकी ज्ञान न होने के कारण वे बच्चें पोर्टल पर अभी भी लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं। उक्त के बारे में निदेश है कि Intake Capacity एवं नामांकन के संबंध में पोर्टल का एक विडियो प्रसारित किया जाय जिससे कि विद्यालयों को तकनीकी कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

(अनुपालनार्थ :–Agency- Code Bucket)

7. निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि के अनुरोध के आलोक में विद्यालयों की प्रस्वीकृति, RTE Act 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत बच्चों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के निजी विद्यालय के इच्छुक तक ीकी सदस्यों को V.C. के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने का निदेश दिया जाता है।

(अनुपालनार्थ :—Agency- Code Bucket)

ह०/—
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक :— 08/RTE 15—02/2021...484.../ पटना, दिनांक 10/04/2026/

प्रतिलिपि :— माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/आप्त सचिव, सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान आप्त सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/ उप निदेशक, दिव्यांगजन, सशक्तिकरण, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारम्भिक एवं समग्र शिक्षा अभियान)/निजी विद्यालय के संघों के प्रतिनिधि/नोडल पदाधिकारी/श्री सद्दाम, Code Bucket, शिक्षा विभाग/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

निजी विद्यालय के संघ का e-mail (सिर्फ email ID इससे लेना है।)

ज्ञापांक :–08 / RTE15–08 / 2025............ दिनांक ....

प्रतिलिपिः– 1. प्राईवेट स्कूल ऐंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोशिएशन, जमिल कम्पाउंड, समनपुरा, राजा बाजार, बेली रोड, पटना–800014, ईमेल–syedshamael06@gmail.com, मो०नं०–9835092109 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. बिहार पब्लिक स्कूल ऐंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोशिएशन, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना–800014, ईमेल–bps.cwa@gmail.com, मो०नं०–9334112753, 9835015793 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, कार्यालय–ई–6, मलाही पकड़ी चौक, कंकड़बाग,पटना–20 एवं कार्यालय–राँची रोड, भैसासुर, बिहारशरीफ, नालन्दा, ईमेल–bsssbharat@gmail.com, मो०नं०–9430888639 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. इंडिपेंडेंट एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, विश्वश्वरैया नगर, नियर बिहार कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, पो0–दानापुर कैन्ट, रूपसपुर, पटना, पिन–801503, ईमेल –biharindependentschool@gmail.com, मो०नं०–9386155561 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. स्व–पोषित निजी विद्यालयों का संगठन (अपसा) 1097/2, बुद्धिजीवी कॉलोनी, 70 फीट रोड, पोस्ट–अनिसाबाद, थाना–बेउर, पटना–800002, ईमेल–upsaworldnews@gmail.com, मो०नं०–9431623322, 9835272012 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. Bihar Independent Private School Association (BIPSA), Near Shiv Mandir Bajrangpuri, Gaighat, Gulzarbagh, Patna-800007, मो०नं०–8210014556, 9431623322 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. प्राईवेट स्कूल एसोशिएशन ऑफ बिहार, ऊँटा मदारपुर, जहानाबाद (बिहार)– 804417/मौर्या बिहार कॉलोनी, खगौल पटना (बिहार)–801105, ईमेल–privateschoolassociationofbihar@gmail.com, मो०नं०–8789906862, 7488341360 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8. निदेशक, Code Bucket Solutions Pvt. Ltd., Incharge, Commad and Control Center, शिक्षा विभाग एवं Nawed Reza, Sunita Vishwas, Indus Action, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)